भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1923
3 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में सुधार करना

1923. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को शासित करने के लिए मानक उप-विधियों में प्रस्तावित संशोधनों की स्थिति क्या है;
(ख) राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने और ऋण समितियों को शासित करने हेतु अखिल भारतीय विधान संबंधी योजना की क्या स्थिति है;
(ग) कृषि और संबद्ध गतिविधियों को संवितरित ऋण में बैंकों की भागीदारी कितनी है; और
(घ) राष्ट्रीय विकास की दिशा में आर्थिक संचालक के रूप में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है ?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) पैक्स के कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें ग्रामीण स्तर पर एक जीवंत आर्थिक इकाई बनाने हेतु उनकी व्यावहार्यता बढ़ाने के लिए पैक्स के प्रारूप मॉडल उपनियम तैयार कर उन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सहकारी संघों, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके फीडबैक के लिए साझा किया गया है । आज तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हो गए हैं । मॉडल उपनियमो का अंतिम रूप देने में हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा और उसे राज्यों के विचारार्थ अग्रेषित किया जाएगा ताकि वे संबंधित पैक्स को अपनाने के लिए सिफारिश कर सकें ।

(ख) सहकारी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है और विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, राष्ट्रीय/राज्य स्तर के संघों, क्षेत्र की और शैक्षणिक संस्थानों के साथ परामर्श की प्रक्रिया आरंभ हो गई है ।

केवल एक ही राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कार्यशील ऋण सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियां, संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कानूनों द्वारा शासित होती हैं । एक से अधिक राज्य में कार्यशील ऋण सहकारी समितियों सहित सहकारी समितियां, केन्द्रीय कानून अर्थात, 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' द्वारा शासित होती हैं ।

(ग) भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22 की सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, बैंकों द्वारा कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में ऋण से कृषि व संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बैंकों द्वारा ऋण के संवितरण में कृषि व संबद्ध कार्यकलापों का हिस्सा**
1	2019-20	12.62 %
2	2020-21	13.16 %
3	2021-22	13.68 %

(घ) देश के समग्र आर्थिक विकास में सहकारिता क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिनमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं । इस क्षेत्र में समय पर, पर्याप्त और डोर-स्टेप ऋण सहयोग, इनपुट सेवाएं, सिंचाई, विपणन, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, मत्स्यपालन, बागवानी, डेयरी, वस्त्र, उपभोक्ता, आवासन, स्वास्थ्य, आदि की प्रवाह वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित व अनुकूल प्रयास की आवश्यक क्षमताएं मौजूद हैं ।

अनिवार्य सामाजिक व आर्थिक नीति साधन के रूप में सहकारी समितियों का सार्वभौमिक स्वीकरण भी है तथा गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, रोज़गार सृजन, आदि की समस्याओं का दूर करने में इसके अंतर्निहित फायदे हैं जिसके परिणाम राष्ट्रों का न्यायोचित विकास है ।

******